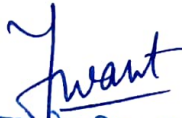


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डा दानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डा दानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है० हस्तान्तरित वन भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.00 है० ग्राम-गोरणा सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन मित्राधिकारी
अगस्त्यमुनि


उप वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

तहसीलदार,
रुद्रप्रयाग

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

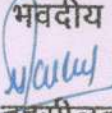
द्वारा उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
संख्या-११४/२०का०- 2021-22
महोदय,

दिनांक रुद्रप्रयाग, अगस्त 27, 2021

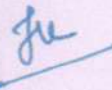
अपर जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या 4054/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक रुद्रप्रयाग जून 04, 2021 के क्रम में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 हे० भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था। पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 4338/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक 09 जुलाई 2019 का निरस्त करते हुये शासनादेश संख्या 2173/XCIII (II)/2012-18 (120)/2021 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज०वि०र० खतौनी की श्रेणी 9-3 (ख)(2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहों) खाता सं० 10 जंगल के खसरा न०-02, रकवा 4.951 हे० मध्ये 4.000 हे० एवं खसरा सं०-271, रकवा 5.550 हे० मध्ये 4.000 हे० कुल रकवा 8.000 हे० भूमि को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन क्रम में सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक चोपता से अमलदरामद करवा कर नकल खतौनी अभिलेख हेतु सेवामें प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

तहसीलदार,
रुद्रप्रयाग।

5-1.



कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

पत्राक संख्या:- 390 / वै0सहा0 / विविध-2020 / 21

दिनांक 06 सितम्बर, 2021

प्रधानाचार्य,

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,

रुद्रप्रयाग।

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग में रा0पा0 चोपता रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तांतरण प्रस्ताव (संख्या- FP/UK/Others/44711/2020) के संबंध में।

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या- 44/भूमि हस्तांतरण/2021-22 दिनांक 09 जून 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 है0 भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित उपरान्त अमल दरामद करने की याचना की गयी।

उक्त के क्रम में तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या-978/र0का0-2021-22 दिनांक 27 अगस्त 2021 में उल्लेख किया गया है कि, पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 4338/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक 09 जुलाई 2019 का निरस्त करते हुये, शासनादेश संख्या 2173/XCIII (III) /2012-18 (120)/2021 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9-3 (ख) (2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहों) खाता संख्या 10 जंगल के खसरा न0-02, रकवा 4.951 है0 मध्ये 4.000 है0 एवं खसरा सं0-271, रकवा 5.550 है0 मध्ये, 4.000 है0 कुल रकवा 8.000 है0 भूमि को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के क्रम में अभिलेखों में अमलदरामद किया गया, जिसकी नकल, खतौनी अभिलेख संलग्न हैं।

अतः तहसीलदार रुद्रप्रयाग की आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित।

संलग्न-यथोक्त।

(जय किशन)
आई0ए0एस0
उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Dr. Sanjit ji

hard transfer Ruben Baidya

?

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

महोदय,

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु
हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु २.०० हे० भूमि के
एक में दण्डात्मक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को
हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था, महोदय मुताबिक
आदेश सं० २१७३/XVIII (II)/२०१२-१८ (१२०)/२०१० राजस्व
अनुभाग-२ दिनांक-१७ दिसंबर, २०१२ के क्रम में उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज० वि० र० खतौनी
की श्रेणी १-३(ख)(२) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के
समूहों) खाता सं० १० जंगल के खसरा न०-०२, रकवा ४.९५१ हे०
मध्ये ४.००० हे० एवं खसरा सं०-२७१, रकवा ५.५५० हे० मध्ये ४.००० हे०
कुल रकवा ८.००० हे० भूमि को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित
एवं अमलदरामद किया गया है, नकल ज० वि० र० खतौनी संलग्न
है,


D. S. I.
चोपता
26-06-2024

RK

जबल Non 2. A खलीनी

म. गोरखा रा. उ. ग. के क्षेत्र - जोषा जगन्नी तहसील रुद्रप्रसाद जनपद रुद्रप्रसाद

1047

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10 - <u>कौली 9 (प्र) 2. गिरनें अन्य प्रकार के फे वृक्ष व झाड़ियों के समूह हैं:-</u>											
10 - <u>जंगल</u>	2	4.951	मोड़नी डुर्गाधार	मीमांसा सुताके आदेश उपायुक्त मधेय - कौली के खेत नं 2 में 0.010 है (1) नाली उमीन श्री मदनसिंह पत केसर के नाम नमाल दीया, एड अफ पत्राधि - चौपडा जामनी 2.2.1958							
	243	2.663	डुर्गाधार	लघेय मीमांसा उपायुक्त मधेय							
	271	4.556	देवीधार	जोयम - कौली के नमाल नं (4) 23 दि 9-12-60 के अनुसार प्रत्येक नं 2 मध्य (न = नाली) 0.023 है 6 नं रुका सालना रेंड पर श्री मदनसिंह रणजीत सिंह पत में पतसिंह बयनसिंह पत कुशरसिंह, कलमासिंह पत जालासिंह के नाम समल दराकद दिया, एड अफ पत्राधि - चौपडा जामनी 2.4.74							
	385	0.260	डा. 5)								
	521	5.410	डोल								
	1324	1.590	पिल्लूली								
	1356	0.133	गिरा								
7	15.680			सुताके आदेश मीमांसा उपायुक्त मधेय - कौली के निमिशिखर आदेश नं 342 (81-82) दि 5-4-1982 के अनुसार जोरका खल खेत नं 2 में है 91 = नाली 0.026 है 2 दि निमिशिखर के अर्द्धात मदनसिंह पत केसरसिंह के नाम समल दराकद दिया, एड अफ							

सुभाषित प्रामाण्य सं 2173/XV III 1911/

2012-18 (120) / 2010 रक्षात्मक अनुभाग-2 दि. 17 दिसम्बर

2012-18 (120) / 2010 रक्षा अनुभाग-2 1401
2012 के कुम के उपजिला के मधेय व 55 प्राग द्वारा उपहासित

2012 के क्रम में उपरिलिखित केसों में अधिनियम 1986 के अन्तर्गत
रक्षात्मक हानि और घात की जाँच के 2007 अधिनियम की धारा 19(2) के तहत

रमात्क ग्राम औरणा की जाति रंखता है।
जिसमें जन्म प्रकार के फल जाती कादि के लए है। खाता रं० १०
है।

[illegible]

खण्डप्रमाण वन प्रमाण खण्डप्रमाण के लिये मातृ २००
दृष्टान्तद्वि / नामान्तद्वि हक अगल ५००० रुपया गमा।

~~D.Si~~
~~चापराजखणी~~
~~26.6.2021~~

एम0ओ0यू0 / अन्डरटेकिंग

परियोजना का नाम:-जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात् 2.00 हे0 भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13 द्वारा स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 2.00 हे0 वन भूमि के चार गुने अवतन अर्थात् 8.00 हे0 (दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु) सिविल भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र0 स0	खसरा न0	कुल रकवा (हे0)	अर्जित रकवा (हे0)	खाता खतौनी सं0	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	2 ✓	4.951	4.00	10	उ0 सरकार	अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूह
2	271 ✓	5.550	4.00	10	उ0 सरकार	अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूह
योग :-		10.501	8.00	नियमित स्थल - राजस्व ग्राम- गौरवा		

23-8-2021
A. S. Barua
R.S.J.
Sarcile
Thaeshel

राजस्व उपनिरीक्षक

ह0
प्रयोक्ता एजेंसी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

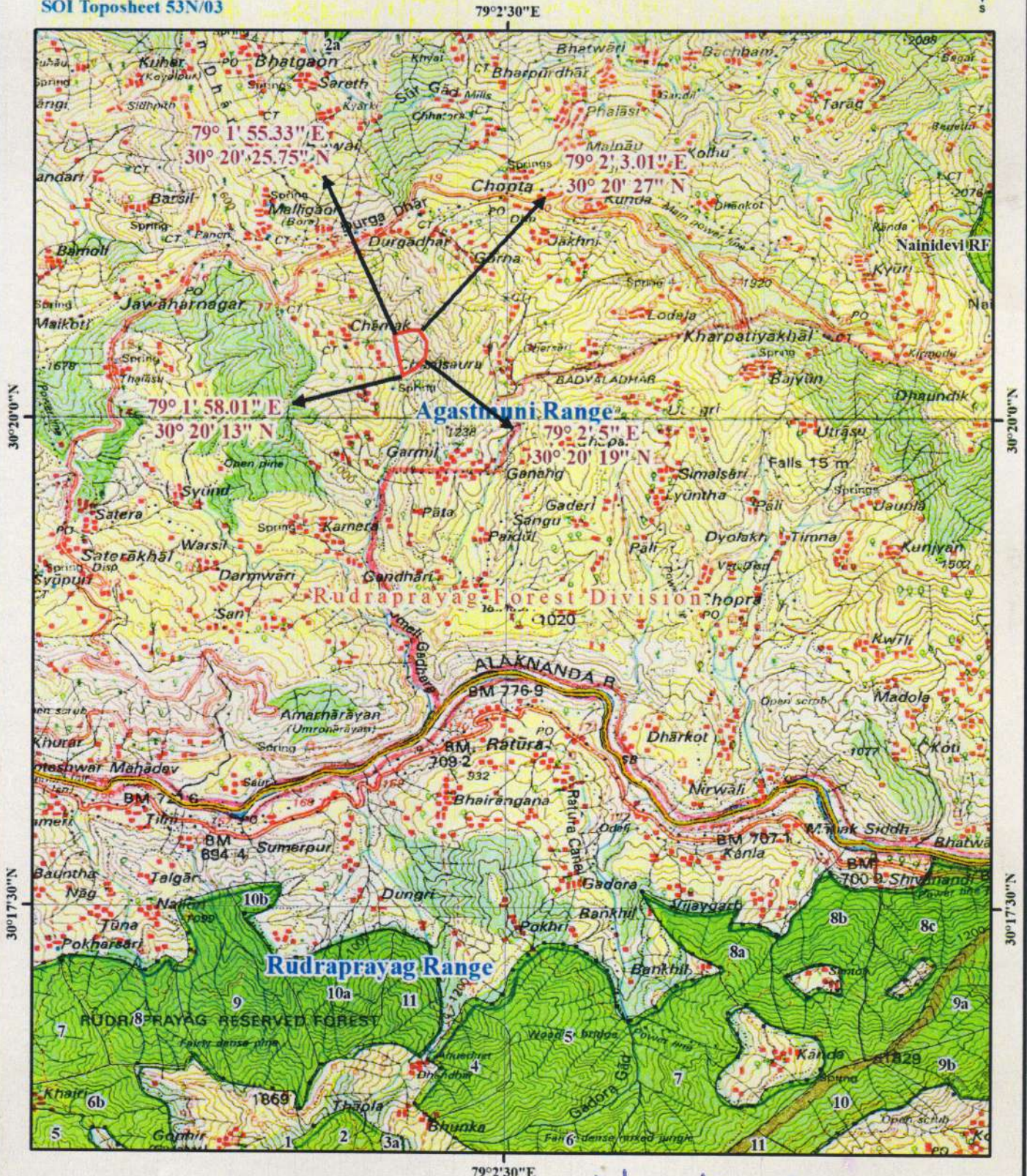
[Signature]
[Stamp]
[Text]

[Signature]
[Stamp]
[Text]

[Signature]
[Stamp]
[Text]

डिजिटल मैप-जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 8 है०)

SOI Toposheet 53N/03



Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

प्रयत्नावर्य
राजकीय पॉलिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

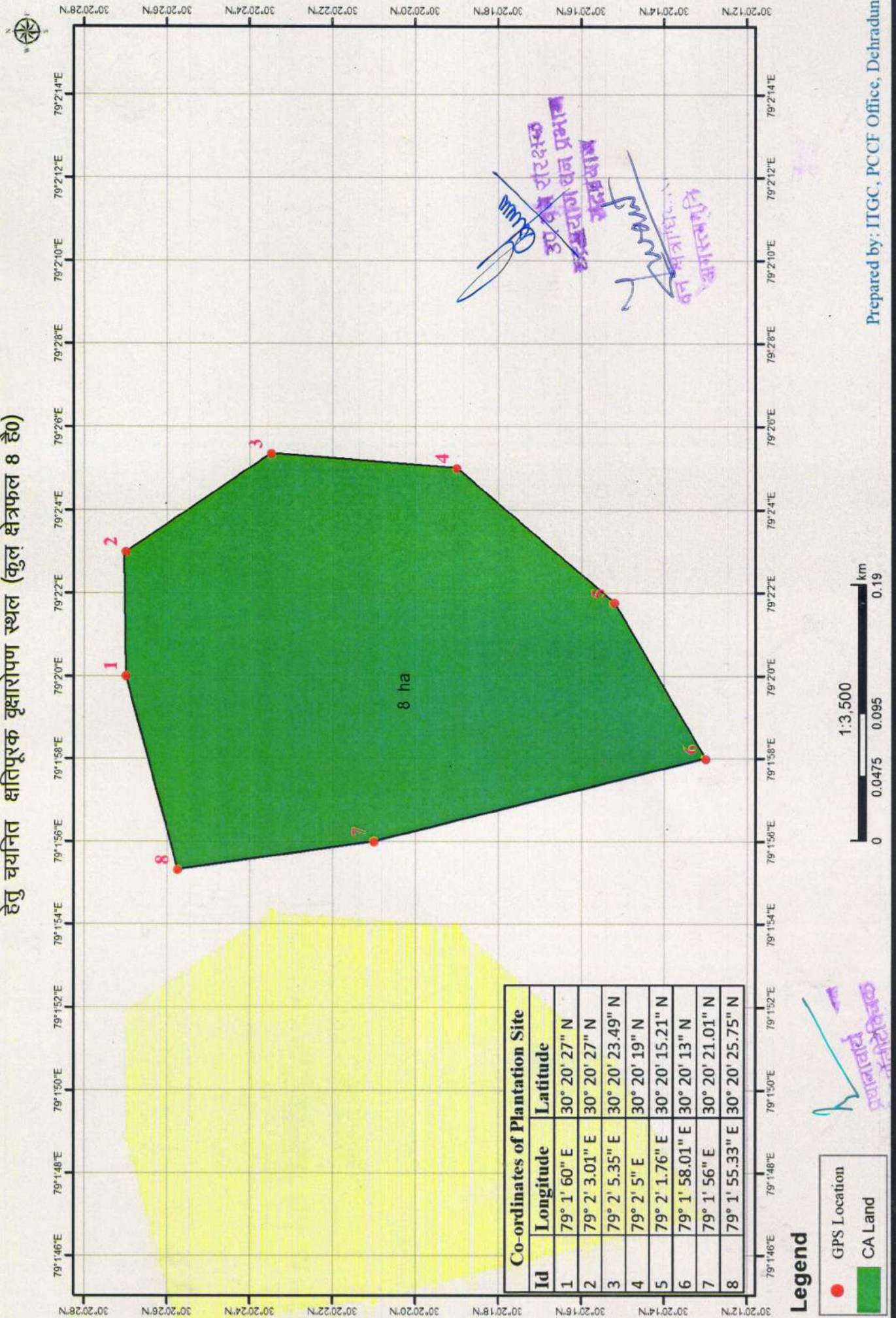
अगस्त्यगुनि

उप दक्ष संरक्षक
वन प्रभाग

Scale: 1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफरेन्स मैप-जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 8 है०)



परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डा दानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है० वन भूमि के एवज में 8.00 है० दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम -		गोरणा सिविल		
क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल (है० में)		8.000	है०	वर्ष 2022-23
क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	बांज	2000		
2	आंवला	2000		
3	रीठा	2000		
4	कचनार	2000		
योग		8000		
रोपित कुल पौध		8000		

प्रथम चरण

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	सर्वे व सीमांकन	8.00	है०	168 00	1344.00
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	8.00	है०	1682 00	13456 00
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	8.00	है०	48000 00	384000 00
4	गड्ढो का खुदान (0.30x0.30x0.45cum) रेखांकन सहित	8000	प्र०ग०	11 00	88000 00
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	8000	प्र० सं०	10 00	80000 00
6	कण्टूर नाली सीमांकन (235 र०मी० प्रति है०)	1880	र०मी०	1 30	2444.00
7	कण्टूर नाली खुदाई एवं ड्रेसिंग (0.45 X 0.30)	1880	र०मी०	92 00	172960 00
8	घास लगाने पर व्यय (05 जड प्रति र०मी०)	8.00	प्र०है०	2400 00	19200 00
9	अन्य व्यय निरीक्षण बटिया, हथियार आदि।	8.00	है०	1350.00	10800 00
प्रथम चरण का योग					761404.00

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान	8.00	है०	1682 00	13456 00
2	गड्ढा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	8000	सं०	2.00	16000 00
3	पौध डुलान कार्य	8000	सं०	13 00	104000 00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	8000	सं०	4 00	32000 00
5	घास डुलान	8.00	प्र०है०	200 00	1600 00
6	कण्टूर खाईयो में घास रोपण व बीज बोना	8 00	प्र०है०	300 00	2400 00
7	निराई गुड़ाई करना प्रथम बार	8000	सं०	2 75	22000 00
8	निराई गुड़ाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	8000	सं०	2 40	19200 00
9	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	8000	सं०	3.00	24000 00
10	घेरबाड के किनारे रोपण हेतु कटिंग बनाना।	8.00	प्र०है०	643.00	5144.00
11	घेरबाड के चारों तरफ कटिंग लगाना।	रोपण रक्षक द्वारा किया जायेगा।			
12	चौकीदारी / वनीकरण सुरक्षा व्यय (रा माह)	8.00	प्र०है०	1000	96000
13	अन्य व्यय बोर्ड क्रय, रस्सी, कण्डी आदि।	8.00	है०	1500 00	12000 00
कुल योग द्वितीय चरण				334344.00	

तृतीय चरण

10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीडिग अप)					
1	पौध की लागत	800	र० / सं०	13 00	10400 00
2	पुन गड्ढा खोदना	800	सं० / पौध	11 00	8800 00
3	पौध डुलान एवं रोपण करना	800	सं० / पौध	20 00	16000 00
4	पौधों की निराई-गुड़ाई तथा मलचिग कार्य	रोपण रक्षक द्वारा किया जायेगा।			
5	मृत पौध बदलना, बीज बुआन, घास रोपण निराई-गुड़ाई व वनीकरण की सुरक्षा कार्य (12 माह)।	8 00	प्र० / सं०	1000 00	8000 00
6	गणना, फोटोग्राफी अभिलेखीकरण व अन्य व्यय।	8 00	सं० / पौध	350 00	2800 00
तृतीय चरण का योग				134000.00	

चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद चतुर्थ वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
चतुर्थ चरण का योग :-					96000.00
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद पंचम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
पंचम चरण का योग :-					96000.00
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद छठवें वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
छठवें चरण का योग :-					96000.00
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद सप्तम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
सातवें चरण का योग :-					96000.00
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद अष्टम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
आठवें चरण का योग :-					96000.00
नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद नवम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
नववें चरण का योग :-					96000.00
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद दशम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.00	₹0	1000 00	96000 00
दशवें चरण का योग :-					96000.00
5-कुल व्यय सारांश प्रति है० व कुल व्यय					
क्र.सं.	वर्ष का नाम	प्रति है० व्यय			
1	प्रथम वर्ष	761404.00			
2	द्वितीय वर्ष	334344.00			
3	तृतीय वर्ष	134000.00			
4	चतुर्थ वर्ष	96000.00			
5	पंचम वर्ष	96000.00			
6	षष्ठ वर्ष	96000.00			
7	सप्तम वर्ष	96000.00			
8	अष्टम वर्ष	96000.00			
9	नवम् वर्ष	96000.00			
10	दशम वर्ष	96000.00			
कुल व्यय रुपये		1901748.00			
मृदा एवं जल संरक्षण कार्य		1362188.00			
कुल योग		3263936.00			
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2022-23 हेतु देय दर 407992.00 रु०/है०		8.000	Ha.	3263936.00	


 वन अधिकारी
 अण्डरस्टैमुनि


 उप वन संरक्षक
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग